न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, मेरठ।
पीठासीन श्री शिवेन्द्र शर्मा उ.प्र.न्यायिक सेवा
जे.ओ. कोड न. यू.पी. 3792

<u>विविध वाद 64/2023</u>
अशोक त्यागी बनाम जगदीश त्यागी

<u>दिनांक– 19.07.2023</u>:–

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई । प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना–पत्र पर सुना जा चुका है । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी /परिवादी दि0 05.03.2023 को समय करीब 6.30 बजे शाम को प्रार्थी अपने बाग के पास चकरोड मे अपने पुत्र राहुल के साथ खेत मे पानी देखने गया था। उसका पुत्र भी वहां आ गया। तभी विपक्षी ने प्रार्थी पर हमला कर दिया और उस पर लात घूसो से वार किया। प्रार्थी के पुत्र व अन्य व्यक्तियो के आने पर विपक्षी गालियां देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। वादी ने घटना की बाबत प्रार्थनापत्र पुलिस उच्चाधिकारीगण को प्रेषित किए किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई।

प्रार्थनापत्र के सम्बंध मे सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अवलोकन से यह परिलक्षित है कि प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में थाना मवाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है ।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के उपरानत स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में ऐसे तथ्य प्रतीत नहीं होते है जिनके सम्बन्ध में पुलिस जांच की आवश्यकता हो अथवा पुलिस हस्तक्षेप आवश्यक हो। समस्त तथ्य तथा साक्ष्य प्रार्थी की जानकारी में है जिन्हें वह न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3)दं0प्र0सं0 का समुचित निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा विधि व्यवस्था **सुखवांसी बनाम उ0प्र0राज्य 2007 (59) ए0 सीसी0 सी0 739** में प्रतिपादित किया गया है कि मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह धारा–156 (3)दं0प्र0सं0 के प्रार्थना–पत्र पर सम्बन्धित थाना में मामला दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित करे, अपितु न्यायालय के पास यह न्यायिक विवेकाधिकार है कि वह प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज कर परिवाद मामले के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है । अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी अशोक त्यागी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156 (3)दं0प्र0सं0 परिवाद के रूप में पंजीकृत हो ।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 दिनांक 18.08.2023 को पेश हो ।

(शिवेन्द्र शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना
(मेरठ)
JO Code-UP3792

This is uncertified copy for information/Reference. for authentic copy please refer to certified copy only.